



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032024-253401  
CG-DL-E-27032024-253401

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946

No. 76]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024

आ.अ. 83(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं. 434/ईसीआई/प्रादे./उत्तर-2/चंडीगढ़-लोकसभा/2019(1), दिनांक 25 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ 2 में यथा-विनिर्दिष्ट चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों को चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की उनके कार्य निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है:-

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(1)	(2)
01- चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	1. अपर उपायुक्त, संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़ 2. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (मध्य), संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़ 3. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (दक्षिण), संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़ 4. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (पूर्व), संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़ 5. निदेशक, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू), संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़

	6. सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक, संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़ 7. औद्योगिक निदेशक, संघ राज्य-क्षेत्र, चंडीगढ़
--	--

[सं. 434/चंडीगढ़-लोकसभा/2024(1)]

आदेश से,

एस.बी. जोशी, प्रधान सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2024

**O.N. 83(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/ECI/TERR/Nor-2/CHD-HP/2019(1), dated 25<sup>th</sup> March 2019, the Election Commission of India, hereby appoints the following officers of Union Territory of Chandigarh as specified in Column 2 of the table below as the Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Chandigarh Parliamentary Constituency of Union Territory of Chandigarh in the performance of his functions:-

**TABLE**

<b>No. and Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Assistant Returning Officer</b>
(1)	(2)
01-Chandigarh Parliamentary Constituency	1. Additional Deputy Commissioner, UT of Chandigarh 2. Sub Divisional Magistrate (Central), UT of Chandigarh 3. Sub Divisional Magistrate (South) UT of Chandigarh 4. Sub Divisional Magistrate (East), UT of Chandigarh 5. Director, Chandigarh Transport Undertaking (CTU), UT of Chandigarh. 6. Director Information Technology, UT of Chandigarh, 7. Director Industries, UT of Chandigarh.

[No. 434/CHAND-HP/2024(1)]

By Order,

S. B. JOSHI, Principal Secy.